

**कार्यालय आदेश**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसरण में नीचे दी गई तालिका के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अधिकारियों को स्तंभ संख्या 1 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुभागों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में तुरंत प्रभाव से और आगे के आदेशों तक नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्रावधानों में अनुसरण में कॉलम 3 में उल्लिखित अधिकारी संबंधित अपीलीय प्राधिकारी होंगे-

क्रम संख्या	1	2	3
	अनुभाग	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1.	इसोल्वेंसी	संयुक्त निदेशक (श्री सी एस गोविंदराजन)	निदेशक (आरटी)
2.	सीएल-III	संयुक्त निदेशक (श्री सी एस गोविंदराजन)	संयुक्त सचिव (बी)
3.	ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ	उप निदेशक (श्री शशिराज दारा)	उप सचिव (एके)*
4.	प्रतिस्पर्धा	अवर सचिव (श्री अखिलेश कुमार सिंह)	निदेशक (एनसी)*
5.	हिंदी	सहायक निदेशक (राजभाषा) (श्री राजीव माथुर)	संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (श्री बी एल वर्मा)
6.	प्रशासन-II	अवर सचिव (श्री राकेश कुमार)*	निदेशक (आरटी)
7.	प्रशासन-III	अवर सचिव (श्री राकेश कुमार)*	निदेशक (आरटी)
8.	आईईपीएफ	उप निदेशक (सुश्री मोनिका गुप्ता)	निदेशक (आरटी)
9.	आईसी	अवर सचिव (सुश्री पूर्णिमा मलिक)*	निदेशक (आरटी)
10.	सीएल-I और सीएल-V	उप निदेशक (सुश्री कामना शर्मा)*	संयुक्त निदेशक (एमआरबी)

\* पहले ही नामित किए जा चुके हैं। यहां पर संबंधित अनुभागों के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी के नामांकन का मिलान करने के लिए दर्शाया गया है।




(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष संख्या-23384502

**संबंधित अधिकारीगण****प्रतिलिपि प्रेषित-**

1. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पीएसओ
2. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पीपीएस
3. संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव (एसी)/ संयुक्त सचिव (के)
4. अवर सचिव (एबी)/ उप निदेशक (एसके)/उप निदेशक (केएस)
5. अनुभाग अधिकारी (ई-गवर्नेंस)/(प्रतिस्पर्धा)/(आईसी)/(प्रशासन-II)/(प्रशासन-III)/(आईईपीएफ)
6. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को यह कार्यालय आदेश इस मंत्रालय की वेबसाइट पर आरटीआई कॉलम में "सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी का नामितकरण" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।



(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष संख्या-23384502